न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

चकमेहसी थाना काण्ड सं0 89/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 711/19

11.9.19 आवेदक 1. नवल महतो उर्फ नवल किशोर महतो उर्फ नवल महतो, जो चकमेहसी थाना काण्ड सं0 89/19, धारा–272, 273/34 भा0द0वि0 एवं धारा–30;द्धए 47 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत अभियुक्त है, की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन साथ वकालतनामा के दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को भी दी गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विजयेन्द्र कुमार ठाकुर जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसकी ओर से पूर्व में दाखिल कि0मिस0 54183/19 मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना से खारिज हो चुका है। उसके पश्चात उसकी ओर से वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य वरीय न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उसका नाम सह अभियुक्त द्वारा पुलिस को दिये गये बयान के आधार पर इस वाद में आया है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नही है। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक एक वृद्व व्यक्ति है जो कई बीमारियों से ग्रस्त है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरूद्व धारा–272, 273/34 भा0द0वि0 एवं धारा–30;द्धए 47 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त का नाम घटनास्थल पर 580 कार्टुन विदेशी शराब के साथ पकड़े गये अभियुक्त अजय महतो, शरबदेव पासवान, भजन पासवान एवं सुनील महतो द्वारा पुलिस को दिये गये बयान के आधार पर इस वाद में आया है, जिसके अनुसार आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के द्वारा उसे तथा उसके साथियों को ट्क पर से शराब उतारने के लिए ले जाया गया था। वे लोग शराब उतारकर नवल महतो के बथान में रख रहे थे कि पुलिस की गाड़ी आ गयी, पुलिस को देखकर नरेश महतो एवं अन्य लोग भाग गये तथा वह तथा उसके तीन साथी पकड़े गये। आवेदक अभियुक्त विदेशी शराब का कारोबारी है जिसके विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति काफी गम्भीर है तथा वाद अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता तथा बरामद शराब की भारी मात्रा को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभिुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए दिनांक 25.9.19.को उपस्थापन आदेश के साथ मण्डल कारा,समस्तीपुर प्रतिप्रेषित किया जाता है।

लेखापित
अपर सत्र न्या0–2
सह वि0 न्या0,उत्पाद